

सेण्डई रूपरेखा से सम्बन्धित कार्यों के परिवीक्षण एवं दिशा-निर्देश समिति का प्रारूप

विभागों द्वारा किये जा रहे उक्त से सम्बन्धित कार्यों के परिवीक्षण, समीक्षा व दिशा-निर्देश के द्वारा सेण्डई रूपरेखा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये राज्य स्तर व जिला स्तर पर समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों व गतिविधियों का निर्धारण करते हुये एक समयबद्ध कार्य योजना विकसित की जायेगी।

विभागों द्वारा किये जा रहे सेण्डई रूपरेखा से सम्बन्धित कार्यों के परिवीक्षण एवं दिशा-निर्देश हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है:

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य / सचिव
3.	सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

उपरोक्त कार्यों की जिला स्तर पर परिवीक्षण एवं दिशा-निर्देश हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर जिलाधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
8.	आपदा प्रबन्धन अधिकारी	सदस्य / सचिव